

असाधारण

## **EXTRAORDINARY**

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 957]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 21, 2016 वैशाख 1, 1938

No. 957]

NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 21, 2016/ VAISAKHA 1, 1938

## भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय

(भारी उद्योग विभाग)

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 अप्रैल, 2016

दिव्यांग व्यक्तियों द्वारा वाहनों की खरीद के लिए उत्पाद-शुल्क छूट प्रमाणपत्र जारी करने संबंधी दिशानिर्देशों में संशोधन

का.आ. 1468(अ).—िद्वयांग व्यक्तियों द्वारा उत्पाद-शुल्क छूट प्राप्त करने के लिए दिनांक 19 जून, 1998 के पत्र सं.12(18)/98-एईआई के माध्यम से भारी उद्योग विभाग द्वारा जारी और समय-समय पर यथा-संशोधित दिशानिर्देशों में आंशिक संशोधन करते हुए, यह भी निर्णय लिया गया है कि खरीद पश्चात् वाहनों में पुनःसंयोजन के मामले में, मूल उपकरण विनिर्माताओं (ओईएम) की तरफ से विनिर्माता प्रमाण-पत्र की आवश्यकता समाप्त कर दी जाए। इसकी जगह, अब भारी उद्योग विभाग से उत्पाद शुल्क छूट प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिए स्कीम में उल्लिखित बाकी दस्तावेजों/कागज़ातों के साथ-साथ इस विभाग में आवेदन करने के लिए निर्धारित प्रपत्र में, अनुबंध के अनुसार, जिला सड़क परिवहन अधिकारी से प्रमाण-पत्र लेना ही पर्याप्त होगा।

इसे माननीय भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

[फा. सं. 12(42)/2015-एईआई] राजेश कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

राज्य सड़क परिवहन प्राधिव	<b>करण के स</b> ङ	क परिवद्गन	। अधिकारी	ो दारा जा	री किय	ग जाने व	गला प्रमा	<b>ण</b> -प•	अनुबंध त्र
जांच के बाद, यह सर									
									निवासी
,					— कार		<i>'</i> मॉडल	का	नाम)
चलाने में सक्ष	————— स्मिट्टैं जिस्	नमें उनकी ९	भारीरिक ।	——— (ऑर्थोचे हिन	5 3 3				,
किया गया है।	, re, re,	3.110	MIXIIX I	(आया 110	11) 513	i (ii/(ii = 4)	<u> ગ</u> નુતાર	3.1.	त्रपाणग
				जारी व	करने व	ाले प्राधि	कारी का	नाम	व महर
							तथा पता		0 \
स्थानः									
दिनांकः									
MINISTRY O	F HEAVY	INDUSTR	IES AND	PUBLIC I	ENTER	RPRISES	S		
	(Dep	artment of	Heavy Ind	lustry)					
		NOTIFIC	CATION						
	Nev	w Delhi, the	21st April,	2016					
AMENDMENT TO THE GUIDEI PURCHASE OF VEHICLES BY P				E DUTY C	ONCE	SSION	CERTIFI	СЛТ	E FOR
S.O. 1468(E).—In partial r handicapped persons issued by Depa amended from time to time, it has fu case of retrofitment of vehicles, aft Transport Officer, as per annexure, alongwith remaining documents/pape the Department of Heavy Industry.	rtment of F orther been er purchase would be	Heavy Indust decided that e, shall be of sufficient fo	try vide let t the requir dispensed or applying	ter no. 12( tement of n with. Inste to this De	18)/98- nanufac ad the epartme	AEI date curer cer certifica ent in the	ed 19 <sup>th</sup> Jun tificate fro te from D e prescribe	e 199 om O listric ed Pe	98 & as EMs in et Road erforma
This has the approval of Hon	'ble Minist	er for Heavy	Industries	& Public I	Enterpr	ises.			
						[F.	No. 12(42	)/201	5-AEI]
					RAJE	ESH KUN	MAR SINC	ЗH, J	t. Secy.
									XURE
CERTIFICATE TO BE ISSUED BY									
After verification, it is cer									
aged						-	_	ar (N	ame of
the Model), which ha	is been retr	ofitted accor	ding to his	Physical (	Orthopa	aedic) Di	sability.		
				N			f the Issuir nd Telepho		
Place:									
Date:				¥					